न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा जिला–दौसा

प्रकरण संख्या– 26/24 : दिनांक रजू 30–04–2023

पीठाशीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र मीना, आर.ए.एस.
अतिरिक्त प्रभार,
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा

1. अनिता देवी पत्नी रामकेश
2. नानगी देवी पत्नी सांवलराम
3. लोहडसी देवी पत्नी हरकेश

जाति मीना निवासी राहूवास तहसील राहूवास जिला–दौसा (राज0)

(प्रार्थीगण)

बनाम्

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील राहूवास जिला–दौसा (राज0)

(अप्रार्थी)

उपस्थितः– पंकज शर्मा, एडवोकेट (प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर. एक्ट 1956

वास्ते करवाये जाने पत्थर गढ़ी

निर्णय दिनांक 23–05–2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है आराजी ख0नं0 82/5 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 82/6 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा स्थित ग्राम डोबजागीर प0ह0 डोब तह0 राहूवास जिला–दौसा मे स्थित हैं। जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हैं। उक्त आराजी भूमि से अन्य किसी का कोई सम्बन्ध सरोकार वास्ता नहीं है। प्रार्थीगण उक्त भूमि का वास्तविक रकबे अनुसार पत्थर गढ़ी करवाना चाहती हैं। इस हेतू

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2024.09.05 15:09:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। नकल जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण उक्त भूमि की तन्हा खातेदार हैं जिस पर प्रार्थीगण शान्तिपूर्ण तरीके से काश्त कर लाभान्वित होती आ रही हैं उक्त भूमि के पडौसी लोग ताकतवर व लाठी पैसे वाले हैं। जो जबरन प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण कर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा हैं तथा प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन करने का असफल प्रयास करते हैं। जिसका उन्हें किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार हांसिल नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का सीमा निर्धारण करने हेतू पूर्व मे तहसीलदार जी के आवेदन किया गया था। लेकिन सीमाज्ञान की समयावधि निकल जाने के कारण आवेदन पत्र पर कोई सुनवाई की कार्यवाही नही हो पाई। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पत्थर गढ़ी प्रस्तुत करना लाजिम आया हैं। उक्त भूमि की पत्थर गढ़ी नही होने के कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर विकास कार्य करने व उसका सदुपयोग करने से वंचित हो रहे हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का चिन्हीक्रण कर जरिये पुलिस इमदाद पत्थर गढ़ी करवाया जाना न्यायोचित हैं ताकि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का भरपूर विकास कर शान्ति पूर्वक काबिज काश्त कर लाभान्वित हो सकें। प्रार्थीगण अत्यन्त निर्धन एवं काश्त पेशा व्यक्ति हैं जिनकी आराजी भूमि का जरिये पुलिस इमदाद पत्थर गढ़ी करवाया जाना न्यायोचित हैं अन्यथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

तत्पश्चात् प्रकरण दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई। जिस पर अप्रार्थी की तामील असालतन प्राप्त हुई एवम् तामील के साथ रिपोर्ट भी प्रस्तुत [illegible] तत्पश्चात् पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तिम [illegible] प्रार्थीगण को सुना गया एवं प्रार्थना पत्र धारा 128 पत्थर [illegible] एवं रिपोर्ट तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2024.09.05 15:09:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

राहूवास का भली प्रकार से अवलोकन एवम् मनन किया जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी ख0नं0 82/5 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 82/6 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा स्थित ग्राम डोबजागीर प0ह0 डोब तह0 राहूवास जिला–दौसा मे स्थित उक्त आराजी मे तहसीलदार राहूवास को आदेश दिये जाते है कि दो कुशल गिरदावर/पटवारीयान की टीम गठित कर सीमा ज्ञान कर पत्थर गढी कायम करावे साथ ही सीमाज्ञान शुल्क नियमानुसार प्रार्थीगण से प्राप्त करें एवं आवश्यकता पडने पर एस.एच.ओ. थाना राहूवास से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। इस आशय की तहसीलदार तहसील राहूवास को तहरीर जारी करें।

निर्णय आज दिनांक 23–05–2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (दौसा)

(नरेन्द्र मीणा, आर.ए.एस.)
अतिरिक्त प्रभार
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2024.09.05 15:09:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner